

धारा 106 : ¹[प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया]

प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण ²[या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] को इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा “प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया” के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।